कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत

COVID-19 की रोकथाम एवं चिकित्सा व्यवस्था की व्यापक तैयारियों हेतु निविदा सूचना

दिनांकः– 02.04.2020

पत्रांकः– 3812/COVID-19/2020-21

COVID-19 संक्रमण की रोकथाम एवं चिकित्सा व्यवस्था को सुद्रढ किये जाने हेतु चम्पावत मुख्यालय एवं टनकपुर में अस्थायी Isolation वार्ड स्थापित किये जाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को क्रय किये जाने के दृष्टिगत टू बिड निविदा प्रणाली के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है–

क्र.सं.	निविदा आमन्त्रण की अवधि	दिनांक
1	निविदा आमंत्रण की तिथि	05.04.2020
2	दस्तावेजों को प्राप्त करने की तिथि	05.04.2020
3	दस्तावेजों को जमा करने की अन्तिम तिथि	13.04.2020 (5.00 PM)
4	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	14.04.2020 (11.00 AM)
5	वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि	14.04.2020 (12.00 PM)

जिन फर्मों की तकनीकी बिड उपयुक्त पाई जायेगी, उन्ही की वित्तीय बिड खोली जायेगी, निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा को सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं होगा। निविदादाता/आपूर्तिकर्ता स्वयं या उसके प्रतिनिधि यदि चाहें तो निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है। निविदा भरने की प्रकिया, सामग्री की मात्रा एवं आपूर्ति हेतु निर्धारित शर्तें एवं अन्य निविदा की शर्तें एवं अन्य विस्तृत विवरण वेबसाइट www.champawat.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा टेण्डर प्रपत्र जमा किये जाने के साथ टेण्डर शुल्क रू–2000.00 बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न कर जमा किया जाना आवश्यक होगा।

निविदा की शर्तें निम्नवत् हैं–

1. सभी निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को विभाग द्वारा विज्ञप्ति में प्रकाशित डाक्यूमेंट का मूल्य रू–2000.00 निर्धारित किया गया है, जो कि बैंक ड्राफ्ट **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत** के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, की **चम्पावत शाखा** में देय हो, संलग्न करना होगा। जनपद चम्पावत से बाहर की शाखाओं में देय बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नही किये जायेंगे। निविदा दो भागों में स्वीकार की जायेगी जिसमें प्रथम प्रपत्र भाग–01 में तकनीकी बिड तथा दूसरे प्रपत्र भाग–02 में वित्तीय बिड होगी। तकनीकि बिड तथा वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफों में जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से तकनीकि बिड/वित्तीय बिड लिखा हो जमा किया जाना अनिवार्य है।
2. टेण्डर खोलने हेतु गठित क्रय समिति की संस्तुति उपरान्त दरें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार **जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष** का होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में **अध्यक्ष** का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायालय क्षेत्र **जनपद चम्पावत** होगा।
3. वांछित सामग्री आवश्यकता अनुसार घट/बढ़ सकती है। भुगतान वास्तविक आवश्यकतानुसार क्रय की गयी सामग्री के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्यादेश आवश्यकता के अनुसार ही निर्गत किया जायेगा। निविदा में प्रकाशित समस्त मदों की सामग्री क्रय किये जाने की विभाग की बाध्यता नहीं होगी। चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा में आंशिक परिवर्तन सम्भव है। निम्नलिखित सामग्री/मद (Items) को क्रय किये जाने हेतु फर्म को निविदा प्रपत्र में दरों का विवरण अंकित कर प्रस्तुत किया जाना होगा।

कार्य का विवरण एवं शर्ते

क.सं.	कार्य/सामग्री का विवरण	सामग्री का मापदण्ड	सामग्री की मात्रा	दरें प्रति यूनिट (समस्त करों सहित)
1	Linen Bedsheet Green (For Hospital Beds of Dim:- 6'X3')	Appropriate Size for Hospital Bed and as per Medical Standards	1000	रु.....................प्रति नग
2	Pillow	As per Medical Standards	1000	रु.....................प्रति नग
3	Pillow Cover Green	As per Medical Standards	1000	रु.....................प्रति नग
4	Blanket Green	Standard Size used in Hospitals and as per Medical Standards	1000	रु.....................प्रति नग
5	Plastic Dustbin With Foot Pedal	Medium size with Lid	250	रु.....................प्रति नग
6	Bath Towel White	400 GSM, Dim:-140X70 cm.	1000	रु.....................प्रति नग
7	Plastic Bucket	Capacity 20 Ltr.	500	रु.....................प्रति नग
8	Plastic Mug	Capacity 1 Ltr.	500	रु.....................प्रति नग

4. चिकित्सा व्यवस्था हेतु आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता का सत्यापन अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण/जिलाधिकारी चम्पावत के द्वारा नियुक्ति प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा।
5. तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग–1 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ पठनीय होनी नितान्त आवश्यक है, साथ ही फर्म के सभी डाक्यूमेन्ट्स को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
6. टेण्डर/निविदा खोलने के दिन यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है, तो ऐसी दशा में टेण्डर/निविदा खोलने की तिथि हेतु अगला कार्यदिवस निर्धारित होना समझा जाये।
7. पूर्ण रूप से भरे गये निविदा प्रपत्र मांगे गये समस्त अभिलेखों सहित, अभिलेखों को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत में दिनांक 13.04.2020(सायं 05.00 बजे) तक जमा करना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा किसी भी कार्य दिवस में रजिस्टर्ड डाक/कोरियर अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत में निर्धारित समय अन्तर्गत जमा होना आवश्यक है।
8. निविदा धारक फर्म के स्वामी का भारत वर्ष का नागरिक होना अनिवार्य होगा।

9. निविदा प्रपत्र में हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि निविदादाता फर्म द्वारा हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया है।
10. निविदादाता को अपनी फर्म के पंजीकरण प्रपत्र, पैन तथा आधार की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी। प्रमाणपत्र न होने की दशा में फर्म अनर्ह/अयोग्य होगी।
11. निविदादाता को इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को पूर्व में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई सजा, अर्थ–दण्ड अथवा काली सूची में नही रखा गया है।
12. निविदादाता को निविदा के साथ धरोहर राशि रू–50,000.00 (रूपया पचास हजार मात्र) जो एफ.डी.आर. के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत के नाम बन्धक होगी मूल में संलग्न करनी अनिवार्य होगी। निविदा खोलने के पश्चात चयनित न्यूनतम निविदादाता फर्म की एफ0डी0आर0 रोक कर शेष सभी एफ0डी0आर0 वापस की जायेगी। संतोषजनक आपूर्ति होने के पश्चात अधिकतम 01 माह के अन्दर बंधक की गई धनराशि वापस की जायेगी।
13. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा उक्त कार्य किसी अन्य फर्म/संस्था को किसी भी दशा में हस्तांतरित (SUBLET) नही किया जायेगा।
14. अनुबन्ध की सभी शर्तों को मानने के लिए निविदादाता फर्म बाध्य होगी।
15. निविदा समिति को किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. निविदादाता द्वारा सामग्री की दरों के सापेक्ष उक्त सामग्री के सैंपल भी, जब भी समिति द्वारा माँगे जायें उपलब्ध कराने होंगे। बिना सैंपल की जाँच एवं सामग्री की गुणवत्ता निश्चित हुए बिना क्रयादेश निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
17. कार्य की महत्ता एवं आपात परिस्थितियों के दृष्टिगत, क्रयादेश में निर्धारित तिथि तक सम्पूर्ण आपूर्ति आवश्यक रूप से पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विलम्ब की दशा में निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को दण्ड दिये जाने का अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत का होगा तथा फर्म को भविष्य के आयोजन के लिए Black List में डाला जा सकता है।
18. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को वित्तीय निविदा में प्रत्येक मदों हेतु पृथक–पृथक रूप से **दरें प्रति यूनिट** के अनुसार अनिवार्य रूप से अंकित करनी होंगी, किसी मद में दरें अंकित न किये जाने पर यह समझा जायेगा, कि फर्म उक्त मद से सम्बन्धित आपूर्ति निशुल्क करना चाहती है। अंकित की गयी समस्त **दरें समस्त करों सहित** होंगी तथा आपूर्तिकर्ता को कोई अन्य व्यय यथा वाहन किराया, ढुलान, मजदूरी इत्यादि का भुगतान किसी भी दशा में देय नहीं होगा। गंतव्य तक सामान पहुँचाने की जिम्मेदारी स्वयं आपूर्तिकर्ता की होगी।
19. तकनीकी एवं वित्तीय बिड खुलने के उपरान्त कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
20. वित्तीय मामलों के वाद–विवाद का निष्पादन करने का अधिकार **अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी चम्पावत**, में निहित होगा।
21. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की पृच्छा/जानकारी हेतु मोबाइल नम्बर – **8171692543** एवं **8279699655** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

घोषणा

हमारे द्वारा उपरोक्त तकनीकी भावपत्र (Technical Bid) मे वर्णित समस्त सामग्री एवं उनका मापदण्ड और वांछित गुणवत्ता का भलीभांति अध्ययन कर समझ लिया गया है एवं हम उक्त समस्त शर्तो के अधीन वांछित आपूर्ति हमारे द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों के अनुसार करने को सहमत है।

फर्म / संस्था का नाम
हस्ताक्षर एवं मुहर

मालिक / प्रतिनिधि का नाम

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
चम्पावत